न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/16/2026	2026/25	05.02.2026	11.05.2026

1. अशोक कुमार यादव पुत्र उदयभान यादव, उचित मूल्य दुकानदार 1/3 भाग, पोस कोड 12004, ग्राम पंचायत रामबास, तहसील गोविंदगढ, जिला अलवर (राज0)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राज0)।

—रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियम आदेश, 1976 एवं जिला रसद अधिकारी अलवर का पारित निर्णय दिनांक 09.06.2025 प्र0सं0 07/2025

उपस्थितः—
01. श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलान्ट
02. श्री विभागीय पैरोकार —रैस्पोडेन्ट

::— निर्णय —::

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 09.06.2025 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 884/1997, पॉस मशीन कोड सं 12004 को निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रैस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट एवं विभागीय पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 09.6.2025 के विरूद्ध अपील हाजा पेश की जा रही है, जिस निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.12.2025 को मातहत जिला रसद अधिकारी कार्यालय में आने पर हुई, जिस पर आलोच्य एकपक्षीय निर्णय की प्रति वास्ते विधिवत आवेदन पेश किया गया जिस पर नकल दिनांक 05.1.2026 को प्राप्त हुई जिस पर अपील हाजा बिना किसी देरी के पेश की जा रही है। आलोच्य निर्णय दिनांक 09.6.2025 की जानकारी दिनांक 22.12.2025 होने के उपरान्त नकल मिलने की दिनांक 05.1.2026 तक का समय लाईल्मी करार दिया जाकर अपील अन्दर अवधि करार दिये जाने योग्य है। रफाये हुज्जत पृथक से दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अपीलान्ट के विरूद्ध प्रवर्तन निरीक्षक गोविन्दगढ़ द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर दिनांक 10.3.2025 को गेंहू का स्टॉक कम होना दर्ज करते हुए जांच रिपोर्ट तैयार की गई। जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 10.3.2025 को कारण बताओ नोटिस अपीलान्ट के विरूद्ध जारी किया जाना पत्रावली पर दर्ज है, जो नोटिस कभी अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुआ है, यदि प्राप्त हुआ होता अवश्य ही अपीलान्ट अपने हकूको की रक्षार्थ समुचित जवाब पेश करता। अपीलान्ट के ऊपर आलोच्य एकपक्षीय निर्णय में 39614.58 किग्रा गेहूं अटेचमेन्ट डीलर को नहीं संभलवाने के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जबकि अपीलान्ट के द्वारा अपना समस्त स्टॉक गेहूं का 39614 किग्रा गेहूं अटेचमेन्ट डीलर ओमप्रकाश सैनी को दिनांक 01.7.2025 को प्रवर्तन निरीक्षक गोविन्दगढ़ की उपस्थिति में संभलवाया जा चुका है, जिसकी रसीद अपील हाजा के साथ संलग्न कर पेश की जा रही है एवं प्रवर्तन निरीक्षक गोविन्दगढ द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 01.7.2025 को जिला रसद अधिकारी कार्यालय अलवर में पेश की गई थी जिसमें यह दर्ज किया गया है कि जो स्टॉक कम था, वो

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

स्टॉक अटेचमेन्ट डीलर ओमप्रकाश सैनी को संभलवाया जा चुका है और अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलंबित चल रहा है। प्रवर्तन निरीक्षक, गोविन्दगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 01.712025 से बखूबी साबित है कि अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को एकपक्षीय निर्णय दिनांक 09.6.2025 से निरस्त किये जाने की जानकारी अपीलान्ट के साथ साथ प्रवर्तन निरीक्षक को भी नहीं रही है, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

प्रवर्तन निरीक्षक, गोविन्दगढ़ द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान पर वक्त जांच दिनांक 04.3.2025 को उचित मूल्य सामग्री का स्टॉक पूरा था। स्टॉक का गेहूं अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान के गोदाम की रिपेयर के कार्य के चलते गोदाम के लगते हुए कमरे में सुरक्षित रखा हुआ था एवं उपभोक्ताओं को वितरण किया जा रहा था, जिस रखे हुए स्टॉक का प्रवर्तन निरीक्षक, गोविन्दगढ़ के द्वारा बार बार कहे जाने के बावजूद उनके द्वारा अवलोकन नहीं किया गया एवं बेजा रूप से रिपेयर हो रहे, गोदाम को खाली पाते हुए स्टॉक कम होना दर्ज करते हुए बेजा प्रकरण बनाया जाकर उसी दिन कारण बताओ नोटिस अपीलान्ट के विरूद्ध जारी किया, जो कभी अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुआ, तदोपरानत एकपक्षी रूप में पत्रावली मातहत अदालत में चालू रखी जाकर पहले अपीलान्ट का प्राधिकार एकपक्षीय रूप में निलंबित किया गया एवं उसके उपरान्त दिनांक 30.6.2025 को एकपक्षीय निर्णय पारित किया जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो निर्णय विधि विरूद्ध होने के चलते निरस्त फरमाए जाने योग्य है जिस हेतु अपील हाजा नेकनियति से पेश है।

मिन अपीलान्ट के द्वारा कोई किसी प्रकार से उचित मूल्य सामग्री गेहूं का गबन नहीं किया गया था, जो स्टॉक कम था, वो स्टॉक प्रवर्तन निरीक्षक की उपस्थिति में संभलवा जा चुका है। अपीलान्ट के विरूद्ध कोई किसी प्रकार का आरोप विद्यमान नहीं रहा है जिस कारण से अपील हाजा स्वीकार की जाकर प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने योग्य है। जब अपीलान्ट पर उचित मूल्य सामग्री का किसी प्रकार का रिकार्ड कम नहीं है तो अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त किया गया है जिस कारण से आलोच्य निर्णय दिनांक 09.6.2025 काबिल निरस्तनीय है एवं स्वीकार किये जाने योग्य अपील हाजा है।

वर्ष 1997 से आज तक किसी भी उपभोक्ता द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की गई है, ना ही इस प्रकरण से पूर्व अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट का उचित मूल्य सामग्री के वितरण का कार्य सदैव संतोषप्रद रहा है, जो तथ्य गौर श्रीमान है। मिन अपीलान्ट के विरूद्ध जो कारण बताओ नोटिस दिनांकित 10. 3.2025 बनाया गया था, उसमें 04 आरोप वर्णित किये गये थे, जिनका जवाब मिन अपीलान्ट की ओर से निम्न है –

1. वक्त जांच उचित मूल्य दुकानदार द्वारा प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
   जवाब उक्त आरोप गलत है। वक्त अपीलान्ट के द्वारा अपनी उचित मूल्य दुकान की बाबत जारी प्राधिकार पत्र प्रवर्तन निरीक्षक, गोविन्दगढ़ को दिखा दिया गया था।
2. वक्त जांच उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक मूल्य सूची बोर्ड का प्रदर्शन नहीं होना पाया गया है।
   जवाब उक्त आरोप गलत है। वक्त जांच उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक व कीमत का वर्णन चाक से नोटिस बोर्ड पर किया हुआ था।
3. वक्त जांच उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को वितरण की पर्ची नहीं दिया जाना पाया गया।
   जवाब उक्त आरोप गलत है। समस्त उपभोक्ताओं को वितरण की पर्ची प्रदान की जाती रही है एवं वक्त जांच भी प्रदान की जा रही थी। उक्त बाबत किसी उपभोक्ता की शिकायत नहीं है।
4. मौके पर उचित मूल्य दुकान के भौतिक सत्यापन के दौरान पोस मशीन में 34759.58 किग्रा उपलब्ध स्टॉक था जो भौतिक सत्यापन के दौरान शून्य पाया गया है। इस प्रकार वक्त जांच 34459.58 किग्रा गेहूं कम पाया गया।
   जवाब उक्त आरोप गलत है। वक्त जांच स्टॉक पूरा था, जो कि अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान के गोदाम की रिपेयर के कार्य के चलते गोदाम के लगते हुए कमरे में उचित मूल्य सामग्री गेहूं को सुरक्षित रखा हुआ था, उपभोक्ताओं को वितरण किया जा रहा था, जिसका प्रवर्तन निरीक्षक, गोविन्दगढ़ के द्वारा बार बार कहे जाने के बावजूद अवलोकन नहीं किया गया एवं बेजा रूप से गोदाम को खाली पाते हुए

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

स्टॉक कम होना दर्ज करते हुए बेजा प्रकरण बनाया है। दिनांक 01.7.2025 को प्रवर्तन निरीक्षक, गोविन्दगढ़ की उपस्थिति में पोरा में दर्ज अपीलान्ट की उ.मू.दु. का गेहूं का समस्त स्टॉक 39614 किग्रा अटेचमेन्ट डीलर को संभलवाया जा चुका है। उक्त तथ्यों की रोशनी में उक्त आरोप स्वतः गलत साबित हो जाता है।

कारण बताओ नोटिस में जो आरोप विभाग द्वारा लगाये गये थे वो राजनैतिक दबाव के कारण लगाये गये है। केवल प्रकरण बनाने एंव अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नियत से प्रकरण बनाया जाकर एकपक्षीय रूप में निर्णीत किया गया है जबकि अपीलान्ट के विरूद्ध कोई गंभीर अपराध नहीं बनता है। अपीलान्ट वर्ष 1997 से उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त होने से अपीलान्ट के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। उचित मूल्य सामग्री के वितरण से बनने वाली कमीशन राशि से ही अपीलान्ट स्वयं का व अपने परिवार की गुजर बसर करता है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ निर्णय या फैसला देने से पूर्व समुचित सुनवाई, जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट को प्रदान नहीं किया गया है जिस कारण से एकपक्षीय निर्णय दिनांक 09.6.2025 निरस्त फरमाये जाने योग्य है एवं अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण सं. 07/2025 बअनुवान सरकार बनाम अशोक कुमार यादव, उ.मू.दु. में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 09.6.2025 जिसके द्वारा अपीलान्ट (पॉस कोड 12004) का प्राधिकार पत्र सं. 884/1997 विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त किया गया है, पीडीआर एक्ट 1952 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेश दिये गये है, वो निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल करते हुए उचित मूल्य दुकान अशोक कुमार यादव, उ.मू.दु. 1/भाग, ग्राम पंचायत रामबास, तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर (राज०) के उचित मूल्य सामग्री के उठाव एवं वितरण (सप्लाई) चालू करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पैरोकार सरकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 12004 ग्राम पंचायत रामबास, तहसील गोविंदगढ़ (अलवर) के द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक प्रदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र में निहित शर्त संख्या 8, 11 एवं 18 एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लघन कर पॉस कोड 12004 में अवशेष स्टॉक 39614.58 किग्रा गेहूं भौतिक रूप से नहीं संभलवाया जाकर राजकीय आदेशों की स्पष्टया अवहेलना करते हुए गेहूं का गबन किया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 09.06.2025 के विरूद्ध दिनांक 04.02.2026 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों की बहस पर चिन्तन-मनन किया। प्रकरण के गुण-दोषों पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी के निर्णय, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा विभागीय पक्ष का गहनता से परिशीलन किया गया। अपीलाण्ट का मुख्य कथन है कि वक्त जांच अपीलान्ट की दुकान के गोदाम की मरम्मत का कार्य चलने के कारण उचित मूल्य सामग्री (गेहूं) को गोदाम से सटे हुए एक सुरक्षित कमरे में रखा गया था। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 04.03.2025 को बार-बार आग्रह के बावजूद उस कक्ष का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और दुर्भावनावश स्टॉक कम होना दर्शा दिया गया। विभाग का मुख्य आरोप भौतिक सत्यापन के दौरान गेहूं का स्टॉक शून्य पाया जाना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में 39614.58 किग्रा गेहूं का गबन/अटैचमेंट डीलर को नहीं संभलवाने का आधार लिया गया है। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रवर्तन निरीक्षक, गोविन्दगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 01.07.2025 एवं संलग्न रसीद से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि अपीलान्ट द्वारा 39614 किग्रा गेहूं का स्टॉक अटैचमेंट डीलर श्री ओमप्रकाश सैनी को

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में सुपुर्द कर दिया गया था। जब सम्पूर्ण स्टॉक विभाग के अटैचमेंट डीलर को संभलवा दिया गया है, तो इसे गबन की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। गोदाम मरम्मत के कारण स्टॉक अन्य कक्ष में रखने के अपीलान्ट के तर्क में बल प्रतीत होता है, जिसकी अनदेखी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई। यह भी उललेखनीय है कि अपीलान्ट वर्ष 1997 से निर्बाध रूप से कार्य कर रहा है और उपभोक्ताओं द्वारा वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता की कोई पूर्व शिकायत पत्रावली पर नहीं है। एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए सीधे प्राधिकार पत्र निरस्त कर देना और पीडीआर एक्ट के तहत कार्यवाही करना त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर, जिला रसद अधिकारी, अलवर का निर्णय दिनांक 09.06.2025 निरस्त योग्य है एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण सं० 07/2025 में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2025 को निरस्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि अपीलान्ट अशोक कुमार यादव पुत्र उदयभान यादव, उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत रामबास, तहसील गोविन्दगढ़, अलवर का प्राधिकार पत्र संख्या 884/1997 (पॉस कोड 12004) नियमानुसार बहाल किये जाने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)